

प्रेषक,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास,  
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
गौतमबुद्धनगर, बागपत, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, एटा, कांशीरामनगर,  
महामायानगर(हाथरस), हमीरपुर, फतेहपुर, इटावा, कन्नौज, हरदोई एवं मऊ।

पत्रांक :: 382 / वि०का० / 2010-11

लखनऊ :: दिनांक :: 3 फरवरी-2011

विषय **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु अनुदान संख्या-83 एस.सी.एस.पी. मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

शासनादेश सं०-53/26-ब०प्र०/2010-76एसजीएसवाई/09 टीसी-2, दिनांक 27.01.2011(छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान संख्या-83 एस०सी०एस०पी० मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 7450.00 लाख (रू० चौहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र) में से रू० 284.99 लाख (रू० दो करोड़ चौरासी लाख निन्यानबे हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष है।

2. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जनपदों को अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या-83 एससीएसपी मद के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू० 284.99 लाख (रू० दो करोड़ चौरासी लाख निन्यानबे हजार मात्र) संलग्न विवरण के कालम 3 के अनुसार आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आवंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4. धनराशि के आहरण एवं व्यय में संलग्न शासनादेश में निर्धारित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के पूर्व योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयागिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

6. आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर माँग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस०जी०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिलों के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना इस कार्यालय एवं उ०प्र० शासन को भेजी जाय।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए-01-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना)(के०75/रा०25-रा०)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

8. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में एससीएसपी मद अनुदान संख्या-83 में आपके जनपद को अब तक आबंटित की धनराशि का प्रगामी योग संलग्न विवरण के कालम 4 में दर्शाया गया है।
9. जारी किये गये आदेशों की प्रतियाँ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ०प्र० इलाहाबाद,, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग-6 एवं समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ०प्र० शासन तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।
10. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं० 175 पर कर ली गई है।

**संलग्नक- उपरोक्तानुसार**

भवदीय,  
20/11/11  
(संजीव कुमार)  
आयुक्त  
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :: 382 / वि०का० / 2010-11 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित जनपदों के परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-3 / वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-2।
9. राज्य योजना आयोग-1/2 उ०प्र० शासन।
10. विशेष सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग-3/6 उ०प्र० शासन।
11. संयुक्त सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ०प्र० शासन को उनके पत्र संख्या-53/26-ब०प्र०/2010-76एसजीएसवाई/09 टीसी-2 दिनांक 27.01.2011 के सन्दर्भ में।
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
13. सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. उप सचिव (एस०जी०एस०वाई०), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)  
अपर आयुक्त(लेखा)  
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।


पत्रांक : 382/वि0का0/2010-11 दिनांक : 3 फरवरी-2011 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 के लिए अनुदान सं0-83  
एससीएसपी मद में राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	G.B. NAGAR	3.44	7.58
2	BAGPAT	0.19	5.26
3	MORADABAD	31.22	64.64
4	RAMPUR	30.38	65.46
5	PILIBHIT	7.10	47.73
6	ALIGARH	20.91	41.82
7	ETAH	18.46	43.51
8	K.RAM NAGAR	11.71	26.39
9	M.M.NAGAR(HATHRAS)	12.43	28.16
10	HAMIRPUR	27.85	62.27
11	FATEHPUR	23.02	82.51
12	ETAWAH	25.14	91.83
13	KANNAUJ	27.08	58.79
14	HARDOI	4.15	124.50
15	MAU	41.91	91.62
State Total ::		284.99	

(रू0 दो करोड़ चौरासी लाख निन्यानबे हजार मात्र)

  
(महेश कुमार अग्निहोत्री)  
अपर आयुक्त(सिखा)  
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास,  
उ०प्र० लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग

लखनऊ: दिनांक: 27 जनवरी, 2011

विषय:-वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत एस.सी.एस.पी.मद अनुदान संख्या-83 से संबंधित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2985/वि०का०/2010 दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-342/26-ब०प्र०-2010-76 एसजीएसवाई/09टी०सी०-2 दिनांक-22 अप्रैल, 2010 शासनादेश संख्या-693 /26-ब०प्र०-2010-76एसजीएसवाई/09टीसी-2, दिनांक 18 अगस्त, 2010, शासनादेश सं०-792/26-ब०प्र०/2010-5एसजीएसवाई/09टीसी, दिनांक- 29 सितम्बर, 2010 एवं शासनादेश सं०-821/26-ब०प्र० /2010-38एसजीएसवाई /05टीसी, दिनांक- 11 अक्टूबर, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से वर्ष 2010-11 के लिये समय-समय पर प्राप्त होने वाले केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू०-284.99 लाख (रूपये दो करोड़ चौरासी लाख निन्नाबे हजार मात्र) आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्रीराज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के पूर्व योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्रांश के सापेक्ष ही किया जायेगा।

- (3) स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
  - (4) धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखा अधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास उ.प्र., लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।
  - (5) अवमुक्त की जा रही धनराशि में से, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे जिलाधिकारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।
  - (6) केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2011 को समर्पित कर दी जायेगी।
  - (7) यह धनराशि /व्यय करने से पूर्व आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि एस.सी.एस.पी हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
  - (8) आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010, दिनांक 26.3.2010 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
  - (9) धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जाएगा। प्रथम किश्त का 75% व्यय होने के पश्चात दूसरी किश्त आहरित की जाएगी।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिये विशेष

कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-01-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के.75/रा.25-रा)-27-सब्सिडी' के नामे डाला जाएगा ।

- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-83/दस-2010 दिनांक 20 जनवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( सत्येन्द्र कुमार सिंह )  
संयुक्त सचिव।

संख्या-53 (1)/26-ब.प्र.-2010- 76एसजीएसवाई/2009टी.सी.।। तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- ✓6. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. राज्य योजना आयोग-1/2, नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनु0-6
9. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

( उमा शंकर सिंह )  
अनु सचिव।



■